

1/3/2013-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
आई आर अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
दिनांक 14.05.2013

विषय :- सूचना के अधिकार से संबंधित श्रेष्ठ पद्धतियों के सार-संग्रह का प्रकाशन ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का सूचना के अधिकार के संबंध में लोक प्राधिकारियों द्वारा देश भर में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का सार-संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । देश भर में लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार के संबंध में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में भारतीय नागरिकों से आलेख आमंत्रित किए जाते हैं । सार-संग्रह में शामिल करने के लिए सर्वोत्तम 20 आलेखों का चयन किया जाएगा । सार-संग्रह में शामिल करने के लिए जिन व्यक्तियों के आलेखों का चयन किया जाएगा उनमें से प्रत्येक को 25000 रूपए की एकमुश्त राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी ।

2. आलेखों के लिए प्रपत्र (फार्मेट) निम्नलिखित अनुसार होगा :-

- 1) उस लोक प्राधिकारी का नाम, जिसकी पद्धति पर आलेख में विचार किया जा रहा है ।
- 2) लोक प्राधिकारी द्वारा महसूस की गई आवश्यकता/सामना की गई समस्या, जिसके कारण इस पद्धति को अपनाया गया ।
- 3) उक्त पद्धति का दायरा, वित्तीय-पहलू एवं जनशक्ति, बुनियादी ढांचा आदि जैसे संसाधनों के नियोजन सहित उसका विवरण ।
- 4) उक्त पद्धति के कार्यान्वयन के दौरान लोक प्राधिकारी को प्राप्त हुए अनुभव ।
- 5) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में ऐसी पद्धति का सकारात्मक परिणाम ।
- 6) अन्य लोक प्राधिकारियों में इसे दोहराने की संभावना ।

3. आलेख 1.5 पंक्ति के स्पेस तथा 14 आकार के फॉन्ट में स्वच्छ रूप से टंकित किया हुआ और लगभग 5000 शब्दों का होना चाहिए । श्रेष्ठ पद्धति के समर्थन में सभी कागजात पृथक रूप से संलग्न किए जाने चाहिए । आलेख प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा दूरभाष व ई-मेल आईडी सहित पूरा नाम एवं पते का उल्लेख किया जाना चाहिए । हस्तलिखित आलेखों पर विचार नहीं किया जाएगा । आलेख की दो प्रतियां, डाक के माध्यम से उप सचिव (आईआर) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को दिनांक 28 जून, 2013 तक भेज दी जाएं ।

4. जिन व्यक्तियों के आलेख का चयन किया जाएगा उन्हें, उनमें वांछित परिवर्तन, यदि कोई हो, के पश्चात् विभाग को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है ।

सरिता नायर

(सरिता नायर)

अवर सचिव, भारत सरकार